

अटॉर्नी / क्लाइंट वशिषाधिकृत संचार

अधिवक्ता के अनुरोध पर तैयार किया गया ड्राफ्ट

तारीख 10/18/2019 1:44 PM

डॉक्टर के बारे में: साक्ष्य के संघीय नयियों के बारे में जानकारी

डॉक्टर मानक क्या है?

डॉक्टर मानक उन वशिषज्ज गवाहों की वशिषसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त राज्य संघीय अदालत के जज के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है, जिनके बयानों को मुकदमे में जूरी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अपेक्षा करता है कि मुकदमा सुनने वाली अदालतें वज्जान के महत्वपूर्ण "द्वारपालों" के रूप में कार्य करें ताकि जूरी को अवशिषसनीय वशिषज्ज गवाही प्रस्तुत न की जाए।

डॉक्टर मानक पूरा हुआ है इसे सुनिश्चित करने की क्या प्रक्रिया है?

- जब कोई मामला मुकदमे के लिए जाता है, तो वादी या प्रतवादी (दावा करने या उसके वरिद्ध बचाव करने वाले पक्ष) मुकदमे से संबंधित वशिषियों पर गवाही देने के लिए वशिषज्जों का चयन कर सकते हैं।
- प्रत्येक पक्ष को यह दिखाना चाहिए कि उसके वशिषज्जों के पास किसी मुद्दे पर भरोसे के साथ और वशिषसनीय रूप से गवाही देने की योग्यता है। वशिषज्ज अपने नशिषर्षों का वविरण देते हुए एक "वशिषज्ज रशिषीर्ट" लिखते हैं।
- वरिधी पक्ष वशिषज्ज से उसकी रशिषीर्ट के बारे में शपथपूर्वक बयान के दौरान प्रश्न पूछ सकता है।
- वशिषज्ज की रशिषीर्ट और बयान के आधार पर, वरिधी पक्ष जज से वशिषज्ज की प्रस्तावित गवाही में से कुछ या सभी को बाहर रखने के लिए कह सकता है।
- जज पक्षों को कानूनी ब्रीफ में उनकी स्थितिको रेखांकित करने के लिए कह कर यह नरिधारण कर सकता है। जज डॉक्टर सुनवाई भी आयोजित कर सकता है - एक "मनि मुकदमा" जहां संभावित वशिषज्ज से दोनों पक्षों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं।
- सुनवाई के बाद, जज नरिणय करता है कि क्या वशिषज्ज मुकदमे में गवाही दे सकता है, कुछ सीमाओं के साथ गवाही दे सकता है, या उसे गवाही देने की अनुमतनिहीं है।
- यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि जूरी को एक वशिषज्ज के रूप में प्रस्तुत किए गए वयक्तसे अवशिषसनीय गवाही सुनने को ना मलि।

किसी गवाह को गवाही देने की अनुमतनि है या नहीं इसका मूल्यांकन करने के लिए जज कनि मानकों का उपयोग करता है?

डॉक्टर मानक के तहत, वशिषज्ज को योग्य होना चाहिए, और उनकी गवाही वशिषसनीय और प्रासंगिक दोनों होनी चाहिए। सभी वशिषज्जों को - केवल वैज्जानिकों को ही नहीं - गवाही देने के लिए इस मानक को अवश्य पूरा करना चाहिए।

- वशिषज्जों को अपने ज्जान, कौशल, अनुभव, प्रशिक्षण, या शकिषा के आधार पर गवाही देने के योग्य होना चाहिए।
- वशिषज्ज की गवाही को वशिषसनीय होना चाहिए, जसि प्राथमकि रूप से पांच कारकों के आधार पर मापा जाता है:
 - 1) क्या वशिषज्ज के सिद्धांत या पद्धतको अन्य वैज्जानिकों द्वारा जाँचा गया है? क्या इसकी जाँच की जा सकती है?
 - 2) क्या सिद्धांत की इस क्षेत्र के अन्य वशिषज्जों द्वारा "समकक्ष समीक्षा" की गई है?
 - 3) क्या इस बात की कोई संभावना है कि सिद्धांत कोई गलत परिणाम दे सकता है या इसकी त्रुटिदर उच्च है?
 - 4) क्या सुसंगत सुनिश्चित करने के लिए पद्धतके काम करने के तरीके को नयितरति करने के कोई मानक हैं?
 - 5) क्या सिद्धांत को वैज्जानिक समुदाय के भीतर आम तौर पर स्वीकार किया गया है, या यह एक अनुषंगी राय है?

अटॉर्नी / क्लाइंट वशिषाधिकृत संचार

अधिवक्ता के अनुरोध पर तैयार किया गया ड्राफ्ट

तारीख 10/18/2019 1:44 PM

- वशिषज्ज गवाही को अभियोग के तर्कों के प्रतिसंगिक होना चाहिए और जूरी को साक्ष्य को समझने या कोई नरिणय करने में मदद करनी चाहिए। जज समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं या जूरी को ऐसी जानकारी से भ्रमति नहीं करना चाहते हैं जिसका मामले से कोई लेना-देना नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, अदालतें इस बात पर वचिार करती हैं कि क्या वशिषज्ज के सदिधांत में अटकलें शामिल हैं, वशिषज्ज को अपनी राय रखने में कतिना समय लगा है, और क्या वशिषज्ज ने अपनी राय बनाने से पहले वैकल्पिक स्पष्टीकरणों पर वचिार किया है।

यह टैल्क संघीय मल्टी-डिसिट्रिक्ट लटिगिशन (एमडीएल) से कैसे संबंधित है?

Johnson & Johnson ने डॉक्टप्रस्ताव पेश किया है जिसमें टैल्क संघीय एमडीएल में जज से वादी "वशिषज्ज गवाहों" में से कई को बाहर रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि क्या टैल्क के कारण डम्बिग्रंथिका कैसर हो जाता है, इस मुद्दे पर उनकी गवाही अवशि्वसनीय है।

जुलाई 2019 में, जज ने एक बहु-दविसीय डॉक्ट सुनवाई की, जिसमें इनमें से कुछ वशिषज्जों ने गवाही दी और वरिधी पक्ष द्वारा उनसे जरिह की गई थी। 7 अक्टूबर 2019 को, Johnson & Johnson और वादियों ने सुनवाई के बाद संक्षिप्त वचिरण दायर किए।

जज यह तय करने के लिए कि क्या वशिषज्जों के सदिधांत डॉक्टमानकों को पूरा करते हैं, सुनवाई और सुनवाई के बाद के वचिरणों का उपयोग करेंगे।

नरिणय का समय जज के वचिक पर नरिभर करता है।